# जवाहर नवोदय
# विद्यालय,महियॉवाली ,जिला–श्रीगंगानगर राज0

**निविदा प्रपत्र** अमानत राशिः 10000/–

निविदा प्रपत्र शुल्क– 100/– रसीद नं................. दिनॅाक ....................

पार्टी का नाम : ................................................

................................................

## निविदा प्रपत्र –भोजन /चपाती /मिठाई बनाने का श्रमिक ठेका

विद्यालय मैस में प्रतिदिन लगभग 550 विद्यार्थियों/कर्मचारियों हेतु दो समय चपाती एंव नाश्ता बनाने हेतु श्रमिक ठेका आमंत्रित किया जाता है इस हेतु विद्यालय की निम्नलिखित शर्ते है जो कि ठेकेदार पर लागु होगी । अतः इच्छुक ठेकेदार से निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. न्यनूतम 06 एंव अधिकतम 08 श्रमिको का होना आवश्यक है जिसमें से 01 श्रमिक मैस के अन्दर व बाहर की संपूर्ण सफाई तथा डायनिंग हॉल के बाहर के नालें की नित्य सफाई करेगा तथा शेष श्रमिक चपाती बनाने का कार्य करेंगे तथा मैस के बर्तन धोयेंगे। आवश्यकता पडने पर कभी कभी अतिरिक्त श्रमिक लगाना होगा जिसका अलग से भुगतान नही होगा।
2. कार्य समय पर तथा उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए । सफाई कार्य नित्य होगा जिसमें किसी प्रकार की कमी नही रहनी चाहिए । कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में उक्त अवधि का पारिश्रमिक काटा जायेगा तथा अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकता है।
3. मैस में मिठाई, समोसें, कचौरी अच्छे हलवाई से बनवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इसका अतिरिक्त कोई भुगतान विद्यालय नही करेगा ।
4. आवासीय विद्यालय होने के कारण नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों का आचरण व व्यवहार उचित होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अशोभनीय घटना पाये जाने की स्थिति में उक्त श्रमिक को हटाकर दूसरा श्रमिक लगाना होगा। नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों के फोटो, पता एवं आधार कार्ड ठेकेदार अपने पास नोट रखेगा तथा एक प्रति मैस प्रभारी को सुपुर्द करेगा।
5. मीनू अनुसार जिस दिन चपाती नही बनती है उस दिन मैस के अन्य कार्य में सहायता करनी होगी।

5 मैस में बनने वाला भोजन ही प्रदान किया जायेगा तथा रहने के लिए अलग से आवासीय सुविधा प्रदान नही की जायेगी ।

6 दरें 30 अप्रेल 2020 तक मान्य रहेगी।

7. आवासीय विद्यालय में मैंस में भोजन चपाती अनुभव वाले श्रमिक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारीयों की स्थायी प्रमाण पत्र तथा उसके चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित ग्राम प्रधान, संरपच, नगरपालिका व स्थायी स्वायत शासी संस्था से प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी को विद्यालय में रखा जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराना होगा एंव कोई भी मजदूर 18 वर्ष से कम नहीं होगा ।
9. पूर्ववर्षो की जमा राशि इस वर्ष की निविदा में किसी भी प्रकार से ं समायोजन नही की जायेगी ।

10 केन्द्र अथवा राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा तय मानक अनुसार मजदूरों को प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी दर देने के जिम्मेदारी चयनित फर्म के ठेकेदार की होगी ।

11. श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेंस लेबर लगाने हेतु होना अति आवश्यक है । श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लगाने हतु लाईसेंस नही होने पर टेण्डर स्स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

12 पेन कार्ड एंव श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेंस के प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें ।

13 आवासीय विद्यालय में श्रमिक अनुबन्ध लगाने के अनुभव वाले को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

प्राचार्य प्रभारी

निविदा प्रपत्र में लिखित उपरोक्त सभी शर्ते व संलग्न सामान्य शर्ते हमें मान्य है। उक्त शर्तो को भलीभॉति पढ़ लिया व समझ लिया ळें

| क्र.स. | विवरण | दर ( प्रति व्यक्ति प्रतिमाह ) |
|---|---|---|
| 1. | मैंस में भोजन /चपाती /मिठाई बनाने का श्रमिक ठेका | |

उपरोक्त शर्तो अनुसार मैं यह घोषणा करता हूं कि विद्यालय द्वारा निविदा संबंधी जारी सभी शर्ते मुझे मान्य है तथा उपर्युक्त वर्णित दरों अनुसार यह कार्य करने को तैयार हूं। मेरी दरें बाजार के हिसाब से वाजिब है एवं मैं उपरोक्त दरों से कम दरों पर कहीं भी कार्य नही करूंगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर निविदादाता..................................................

स्थानः– हस्ताक्षरकर्ता का नाम......................................................

फर्म का नाम,पता व दूरभाष नम्बर.....................................

Bank A/c.No.-------------------------------------

IFSE CODE NO.-----------------------------------

BRANCH NAME------------------------